"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016—भाद्र 25, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनिल कुमार कुजूर, (भाप्रसे-1986), प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, एवं प्रमुख सचिव, मान. राज्यपाल तथा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, मान. राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, (भाप्रसे-2000), आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मान. राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्रमांक 8027/1382/21-ब (एक)/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय, नियम 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, श्रीमती पूनम पटेल, कांकेर को अग्रिम आदेश तक के लिये, कुटुम्ब न्यायालय, कांकेर, में परामर्शदात्री नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्रमांक 8029/1381/21-ब (एक)/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय, नियम 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु, तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्तियों को अग्रिम आदेश तक के लिये, परामर्शदाता नियुक्त करता है.

क्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	व्यक्ति का नाम (3)
01	अंबिकापुर	(1) श्रीमती मंजु पाण्डेय
		(2) श्रीमती दीप मिन्ज
		(3) श्री नीरज कुमार पाण्डेय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्रमांक 7439/2165/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री धरमन सिंह, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री जय प्रकाश गुप्ता के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रामानुजगंज, जिला बलरामपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक 7565/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री श्याम प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, डोंगरगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक डोंगरगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर

फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्रमांक 7741/2259/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, कोरबा, जिला कोरबा के पद पर नियुक्त श्रीमती मंजूला श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिला-कोरबा (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 06-09-2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्रमांक 7743/2259/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर के पद पर नियुक्त श्री पूरन राजवाड़े, अधिवक्ता, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 02-09-2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्रमांक 7745/2252/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, बैकुण्ठपुर (कोरिया) के पद पर नियुक्त श्रीमती कामिनी राजवाड़े, अधिवक्ता, जिला-कोरिया (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 15-07-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक 7832/2281/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जगदलपुर, जिला बस्तर के पद पर नियुक्त श्रीमती सीमा गोलछा, अधिवक्ता, जिला-बस्तर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-02-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक 7834/2281/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जगदलपुर, जिला बस्तर के पद पर नियुक्त श्रीमती वरूणा मिश्रा, अधिवक्ता, जिला-बस्तर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-02-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक 7783/2555/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सूरजपुर, जिला सूरजपुर के पद पर नियुक्त श्री विवेक कोनेर, अधिवक्ता, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 16-07-2015 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 8246/2338/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव के पद पर नियुक्त श्री नरेश कुमार नाईक, अधिवक्ता, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 07-10-2015 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 8248/2338/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के पद पर नियुक्त श्री अशोक कुमार चौहान, अधिवक्ता, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-11-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्रमांक-एफ 6-12/36/योजना/2013.—राज्य शासन कृषि (मछली पालन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 190 दिनांक 09 मई 2013 से ''छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड'' का गठन 03 वर्ष की कार्य अवधि के लिए किया गया था. राज्य शासन एतद्द्वारा ''बोर्ड'' की कार्य अवधि को पुनः 03 वर्ष के लिये वृद्धि करते हुए मछुआ कल्याण बोर्ड में निम्नानुसार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है :—

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री भरत मटियारा, कांकेर	अध्यक्ष
2.	श्री थान सिंह मटियारा, दुर्ग	उपाध्यक्ष
3.	श्री श्याम रतन सपहा, रायपुर	सदस्य
4.	श्री फिरोज हिरवानी, धमतरी	सदस्य
5.	श्री विक्रम निषाद, बिलासपुर	सदस्य
6.	श्रीमती कुसुमलता कैवर्थ, कोरबा	सदस्य
7.	श्री नेतराम निषाद, ग्राम किकिरमेट, वि.ख.-पाटन	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-42/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2481/277/भोपाल/ दिनांक 31-05-1979 द्वारा गठित पेन्डरा निवेश क्षेत्र में अनुसूची-1 में दिये गये ग्राम लटकोनी कला एवं अमरपुर को शामिल करती है, पुनर्गठित पेण्डरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो में परिभाषित है :—

अनुसूची-1

पेन्डरा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम लटकोनी कला एवं अमरपुर.

अनुसूची-2

पेन्डरा निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बचरवार, बंधी तथा पतगंवा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम पतगंवा, लटकोनी कला एवं अमरपुर ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम अमरपुर एवं पेन्डरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम पेन्डरा एवं बचरवार ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/474.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 10 में, शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी" अन्त:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/475.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/474 दिनांक 24-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 24th August 2016

No. /P.-1429/PGVV/22/2016/474.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2012, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 10, after the words "Chief Executive Officer", the words and symbol "/Additional Chief Executive Officer" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 6-54/2012/वा.कर. (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त करता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में दर्शित कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री रामकृष्ण मिश्रा, आत्मज श्री शैलेन्द्र मिश्रा, C/o श्री अनिल मिश्रा, मिश्रबंधु धर्मशाला के पास, वार्ड-09, ब्राम्हणपारा, मुकाम+पोस्ट-अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिनकोड-491665.	अनारक्षित	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	3	श्री मनोज कुमार बंजारे, आत्मज श्री कोमल सिंह बंजारे, पी.जी. कॉलेज रोड, जोधापुर, धमतरी जिला-धमतरी (छ.ग.) पिनकोड-493773	अ.जा.	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-राजनांदगांव.
3.	4	श्री अलेख राम सिदार, आत्मज श्री मुरलीधर सिदार, ग्राम+पोस्ट-कॉटाहरदी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिनकोड-496001.	अ.ज.जा.	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.
4.	5	सुश्री सोनल नेताम, आत्मजा श्री एम.एम. नेताम, बसंतपुर, गांधी नगर पुलिस चौकी के पीछे, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिनकोड-491441.	अ.ज.जा.	कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.

2. यह नियुक्ति आदेश, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P. (S) No. 1885/2016 एवं W.P. (S) No. 2390/2016 के प्रकाश में अनंतिम रूप से जारी किया जा रहा है. उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये अंतिम निर्णय के पालन में जारी किये गए नियुक्ति आदेश को परिवर्तित/निरस्त किया जा सकेगा.

3. (i) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

   (ii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

6. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

7. सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

10. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

11. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

12. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

13. चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. तथापि परस्पर वरिष्ठता माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P. (S) No. 1885/2016 एवं W.P. (S) No. 2390/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 6-54/2012/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त करता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में दर्शित कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2	श्री मोहित कुमार जायसवाल, आत्मज श्री रामलाल जायसवाल, ग्राम व पोस्ट-खण्डसरा, तहसील व जिला-बेमेतरा (छ.ग.) पिनकोड-491335.	अनारक्षित	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जगदलपुर जिला-बस्तर.

2. यह नियुक्ति आदेश, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P. (S) No. 1885/2016, W.P. (S) No. 2390/2016 एवं W.P. (S) No. 3839/2016 के प्रकाश में अनंतिम रूप से जारी किया जा रहा है. उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये अंतिम निर्णय के पालन में जारी किये गए नियुक्ति आदेश को परिवर्तित/निरस्त किया जा सकेगा. इस आशय का शपथ-पत्र रुपये 50/- के स्टाम्प में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.

3. (i) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

   (ii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

6. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

7. अभ्यर्थी का निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़, आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

10. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

11. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

12. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. साथ ही अभ्यर्थी को कंडिका-2 में उल्लेख अनुसार शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

13. चयनित अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी, तथापि परस्पर वरिष्ठता माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P. (S) No. 1885/2016, W.P. (S) No. 2390/2016 एवं W.P. (S) No. 3839/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

विषय :- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का पालन सुनिश्चित करने विषयक्.

क्रमांक एफ 3-45/2013/मबावि/50.—विषयान्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का पालन करते हुए प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किये जाने के निर्देश प्रसारित किए गये हैं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की अनुसूची 2 अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाना है. जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	हितग्राही श्रेणी	पोषण मापदंड	
		प्रोटीन की मात्रा (ग्राम में)	कैलोरी की मात्रा (किलो कैलोरी)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	12-15	500
2.	6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	20-25	800
3.	3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	12-15	500
4.	3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	20-25	800
5.	गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती महिलाएं	18-20	600

राज्य में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पूरक पोषण आहार प्रदाय के संबंध में निर्देश एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करते हुए आई.सी.डी.एस. के हितग्राहियों हेतु वितरित किए जा रहे पूरक पोषण आहार की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	हितग्राही वर्ग	हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही पूरक पोषण आहार सामग्री का नाम	प्रदाय की जा रही पूरक पोषण आहार सामग्री की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6 माह से 3 वर्ष सामान्य व मध्यम कुपोषित बच्चे.	रेडी टू ईट फूड	135 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
		मुर्रा लड्डू	20 ग्राम का एक लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	6 माह से 3 वर्ष गंभीर कुपोषित बच्चे	रेडी टू ईट फूड	211 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
		मुर्रा लड्डू	40 ग्राम का एक लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
3.	3 से 6 वर्ष के सामान्य व मध्यम कुपोषित बच्चे.	गर्म भोजन	105 ग्राम प्रतिदिन (चांवल 65 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, सोया तेल 5 ग्राम, सब्जी मसाले 20 ग्राम)
		नाश्ता	
		रेडी टू ईट फूड	75 ग्राम (प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार)
		मुर्रा लड्डू	20 ग्राम का एक लड्डू (प्रति मंगलवार)
		उबला/भीगा चना देशी, गुड़	50 ग्राम (प्रति मंगलवार एवं शनिवार) (उबला भीगा चना देशी 30 ग्राम एवं गुड़ 20 ग्राम)
		भुना मूंगफल्ली दाना, गुड़	38 ग्राम (प्रति गुरुवार) (भुना मूंगफल्ली दाना 20 ग्राम एवं गुड़ 18 ग्राम).
4.	3 से 6 वर्ष के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चे.	गर्म भोजन	105 ग्राम प्रतिदिन (चांवल 64 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, सोया तेल 5 ग्राम, सब्जी मसाले 20 ग्राम)
		नाश्ता	
		रेडी टू ईट फूड	75 ग्राम (प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार) एवं 85 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) घर ले जाकर खाने हेतु.
		मुर्रा लड्डू	20 ग्राम के दो लड्डू (प्रति मंगलवार)
		उबला/भीगा चना देशी, गुड़	50 ग्राम (प्रति मंगलवार एवं शनिवार) (उबला भीगा चना देशी 30 ग्राम एवं गुड़ 20 ग्राम)
		भुना मूंगफल्ली दाना, गुड़	38 ग्राम (प्रति गुरुवार) (भुना मूंगफल्ली दाना 20 ग्राम एवं गुड़ 18 ग्राम).
5.	शिशुवती माताएं	रेडी टू ईट फूड	165 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
		मुर्रा लड्डू	20 ग्राम के दो लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
6.	गर्भवती महिला	रेडी टू ईट फूड	100 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से.
		गर्म भोजन	250 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) (चांवल 130 ग्राम, मिक्स दाल 30 ग्राम, सोया तेल 10 ग्राम, सब्जी मसाले 80 ग्राम)

उपरोक्तानुसार पूरक पोषण आहार से विभिन्न श्रेणी के हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले प्रोटीन एवं कैलोरी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	हितग्राही श्रेणी	पोषण मापदंड	
		प्रोटीन की मात्रा	कैलोरी की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	15.92	585
2.	6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	25.23	945.2

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	15.19	572.16
4.	3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	24.84	907.48
5.	शिशुवती महिलाएं	20.7	770.1
6.	गर्भवती महिलाएं	28.03	1044

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार एवं अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 2 में प्रोटीन व कैलोरी के मापदंड से अधिक रखे गऐ हैं.

2. भारत शासन के निर्देश अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के तहत् प्रत्येक 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार वितरित किया जाना है. किन्तु फिर भी किसी कारणवश यदि किसी हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पूरक पोषण आहार प्राप्त नहीं हो रहा है जो संबंधित द्वारा या उसके पालक द्वारा आवेदन देने या जानकारी प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर हितग्राही को पूरक पोषण आहार का लाभ सुनिश्चित करना.

3. स्तनपान एवं सघन स्तनपान हेतु विशेष अभियान चलाया जावे.

4. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जावे.

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पालन हेतु सभी टेक होम राशन के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जावे.

6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार का वितरण सुनिश्चित करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने सम्पूर्ण जिले के लिए एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने परियोजना क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी होंगे.

7. छ.ग. शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिला कलेक्टर डिस्ट्रक्ट ग्रीव्हेन्स रिड्रेसल आफिसर (DRGO) नामांकित किया गया है. विभाग हेतु भी ग्रीव्हेन्स रिड्रेसल आफिसर संबंधित जिला कलेक्टर होंगे.

8. अधिनियम के प्रावधानों के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्धारित पोषण मापदण्ड अनुसार पूरक पोषण आहार प्राप्त करना उसका अधिकार है. अत: प्रत्येक पात्र हितग्राही को प्रतिदिन के लिए निर्धारित आहार वितरित किया जाना आवश्यक है, अत: इस हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जावे. साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जावे.

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाना है. आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों द्वारा पूरक पोषण आहार प्राप्त करना उनका अधिकार है. अत: सभी हितग्राहियों को निर्धारित प्रावधान अनुसार पूरक पोषण का वितरण सुनिश्चित करावें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/840/प्र.क्र. 03/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	ओड़ाडबरी प.ह.नं. 52	4.425	अ.वि.अ. जल संसाधन, विभाग उप संभाग, पंडरिया.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/842/प्र.क्र. 11/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	झिंगराडोंगरी प.ह.नं. 9	2.718	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/844/प्र.क्र. 10/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	छीरपानी प.ह.नं. 09	0.129	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/846/प्र.क्र. 04/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	केशलमरा प.ह.नं. 36	1.476	अ.वि.अ. जल संसाधन, संभाग पंडरिया.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/848/प्र. क्र. 01/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सेन्हाभाठा प.ह.नं. 52	3.501	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/850/प्र. क्र. 05/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बघर्रा प.ह.नं. 40	4.384	अ.वि.अ. जल संसाधन, विभाग उप संभाग, पंडरिया.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/852/प्र.क्र. 07/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	लोखान प.ह.नं. 52	6.244	अ.वि.अ. जल संसाधन, विभाग उप संभाग, पंडरिया.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/854/प्र. क्र. 06/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दुल्लापुर प.ह.नं. 41	7.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक/856/प्र.क्र. 08/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	बनियाकुबा प.ह.नं. 42	3.421	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रेगाबोड़ - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक 55/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद प.ह.नं. 14	1.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक 56/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उमरमरा प.ह.नं. 15	6.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य डूब क्षेत्र हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 59/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पीपरतराई प.ह.नं. 13	18.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्फा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 61/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खरगहनी प.ह.नं. 15	2.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 62/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली प.ह.नं. 14	3.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 63/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी प.ह.नं. 06	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	मझवानी जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 64/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिंगवार प.ह.नं. 17	6.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	रिंगवार जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक 60/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खरगहना प.ह.नं. 29	2.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 65/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद प.ह.नं. 14	2.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक/830/भू-अर्जन/प्र.क्र. 8/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	15/17	0.202
योग		0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-बिटकुली जांगड़ा मार्ग के जमुनैया नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्रमांक/286/अ.वि.अ./भू-अर्जन/18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-दरबेकेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
397	0.02
400/3	0.06
400/1	0.03
400/2	0.05
394/2	0.06
394/3	0.03
391	0.23
385	0.09
389	0.24
384	0.71
92	0.24
93/1	0.13
93/2	0.07
93/3	0.06
93/4	0.07
72/1	0.17
72/3	0.04

	(1)	(2)
	72/2	0.25
	73	0.05
	74	0.04
	91	0.30
योग	21	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 94 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 94 बी-121/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा/25	69/1	0.067	365/2	0.058
			70/1	0.029	366/2	0.024
			71/3	0.025	55/3	0.220

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			70/3	0.051	57/5	0.081
			94/2	0.109	308/1	0.008
			94/3	0.064	68/19	0.032
			384/2	0.008	68/21	0.050
			362/1	0.093	68/18	0.081
			97	0.025	68/11	0.069
			60/4	0.117	68/20	0.093
			92/1ग	0.138	61	0.081
			92/1क	0.028	55/2	0.138
			60/1ग	0.016	367/2क	0.130
			318/4	0.101	367/1क	0.108
			67/12	0.094	58/5	0.023
			67/11	0.101	58/3	0.012
			67/14	0.142	58/4	0.023
			365/1	0.089	384/5	0.137
					382/4, 383/4	0.186
		योग			**38**	**2.851**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 95 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 95 बी-121/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली/32	5/2	0.016
			10/1	0.126
		योग	**2**	**0.142**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 96 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 96 बी-121/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/34	4/7	0.008	22/1	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4/8	0.045	4/11, 22/5	0.072
			4/10, 22/6	0.083	22/3	0.016
			11/4	0.193	22/4	0.012
			12	0.016	4/9	0.060
			योग		**10**	**0.509**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 98 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 98 बी-121/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	रनभाठा/24	71/4	0.085
			72/1	0.024
			72/5	0.024
		योग	**3**	**0.133**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 99 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 99 बी-121/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोशणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह/23	172/8	0.032	106/8/3, 106/9/3	0.053
			113/7	0.032	106/13	0.085
			218/12	0.019	218/6	0.020
			111/1	0.106	219/9	0.202
			113/4/2, 113/5/2, 113/6/2	0.059	219/5	0.304
					106/1/4, 106/4/4	0.150
					218/13	0.040
					218/15	0.056
		योग			**17**	**1.158**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 100 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 100 बी-121/2015-16 दिनांक 22 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	गुड़ू/35	141/7	0.093	151/4	0.036
			302/1	0.202	220/1	0.093
			62/2	0.019	220/3	0.020
			336/3	0.045	141/3	0.032
			206/3	0.040	141/9	0.036
			62/1	0.032	219	0.040
			67	0.012	324/1	0.081
		योग			**14**	**0.781**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 101 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 101 बी-121/2015-16 दिनांक 22 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभण्डार/23	192/10	0.136	303/6	0.231
			292/7	0.081	304	0.008
			292/5	0.061	295/2	0.008
			303/5	0.051	303/2	0.020
			योग		**8**	**0.596**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 102 बी-121/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 102 बी-121/2015-16 दिनांक 22 जुलाई 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता को प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)			
			खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	पुसौर	कठली/24	216/1	0.054	191	0.174
			216/2	0.036	168/4	0.194
			258/2	0.020	147/419	0.045
			188	0.045	147/4	0.162
		योग			**8**	**0.730**

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/3417.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/6951-6952 रायपुर दिनांक 10-03-2015 द्वारा श्री दुष्यन्त कुमार रायस्त डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर धमतरी का पत्र ज्ञापन क्रमांक/8009/वित्त-1/न.क. 166/2016 दिनांक 03-07-2015 द्वारा श्री ए. के. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री दुष्यन्त कुमार रायस्त, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) धमतरी के स्थान पर श्री ए. के. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर, जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक/स्था./2016/2032A.—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/प्रशा.राज/व्य.न.-110/2016/6225 दिनांक 28-07-2016 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 12-08-2016 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

के. आर. उके,
वन मण्डल अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th August 2016

No. 7095/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

(1) Shri Girish Pal Singh, J.M.S.C., Raigarh.
(2) Ku. Seema Kanwar, J.M.S.C., Raigarh.
(3) Ku. Sweta Baghel, J.M.S.C., Raigarh.
(4) Ku. Neha Yati, J.M.S.C., Durg.
(5) Shri Praveen Mishra, J.M.S.C., Durg.
(6) Ku. Chetna Thakur, J.M.S.C., Durg.
(7) Ku. Barkha Rani Kasar, J.M.S.C., Durg.
(8) Ku. Amrita, J.M.S.C., Durg.
(9) Ku. Tanu Shree Gavel, J.M.S.C., Durg.
(10) Ku. Khileshwari Sinha, J.M.S.C., Durg.
(11) Shri Bhagwan Das Panika, J.M.S.C., Durg.
(12) Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, J.M.S.C., Durg.
(13) Ku. Rupal Agrawal, J.M.S.C., Durg at Bhilai-3.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.